दिनांक 19.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 30/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 चार पहिया वाहन**
- **लूट के माल बिक्री से प्राप्त 11 हजार रूपये नगद**
- **लूट का मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **07 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद**

दिनांक 18.05.2025 को थाना बिसरख, सीआरटी व सीडीटी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र बिसरख में चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–राहुल 2–राजन एवं 3–रतन 4–गौरव 5–मोहित घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 6–विराट 7–भवरराम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 चार पहिया वाहन, लूट के माल बिक्री से प्राप्त 11 हजार रूपये नगद, लूट का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त कार, 07 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राहुल व राजन थाना बिसरख पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद औरैया, कन्नौज, फिरोजाबाद, मथुरा, मुरादाबाद कमिश्नरेट कानपुर नगर, गौतमबुद्धनगर हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के **25 अभियोग** व अभियुक्त रतन के विरूद्ध जनपद

इटावा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली, हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के **19 अभियोग** एवं अभियुक्त गौरव के विरूद्ध जनपद मथुरा, कमिश्नरेट कानपुर नगर, आगरा, राजस्थान, हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधडी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के **15 अभियोग** व अभियुक्त मोहित के विरूद्ध जनपद औरैया, मैनपुरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के **10 अभियोग** पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी गांव हाथीपुर बाउद्दीन थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद वर्तमान पता मोहल्ला ऋषिपुरा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

2—राजन निवासी ग्राम टैडी थाना बिधुना जनपद औरैया।

3—रतन निवासी मंगोलपुरी एस ब्लाक टर्मिनल थाना मंगोलपुरी दिल्ली।

4—गौरव निवासी ग्राम पिडयानी, जनपद भरतपुर राजस्थान।

5—मोहित निवासी सरैया थाना बैला जनपद औरैया।

6—विराट निवासी ग्राम जगतपुर थाना ऐरवा कटरा जनपद औरैया।

7—भवरराम निवासी उचला वास रतऊ थाना लाडनू नागौर राजस्थान।

बरामदगी

1—लूट के 02 चार पहिया वाहन।

2—लूट के माल बिक्री से प्राप्त 11 हजार रूपये नगद।

3—लूट का मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त कार।

5—07 अवैध तमंचा मय कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना लहरपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 01 लाख 24 हजार रूपये नगद**
- **लूट/चोरी के आभूषण**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 19.05.2025 को थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिपरिया फार्म बाउण्ड्रीवाल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशिफ उर्फ आशिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 01 लाख 24 हजार रूपये नगद, लूट/चोरी के आभूषण, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सीतापुर व लखीमपुर के विभिन्न थानों में लूट/चोरी के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद सीतापुर थाना लहरपुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशिफ उर्फ आशिक निवासी ग्राम जठरा थाना खमरिया जनपद खीरी।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के 01 लाख 24 हजार रूपये नगद।

2–लूट/चोरी के आभूषण।

3–01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद रायबरेली/थाना चंदापुर/थाना महराजगंज

- **23 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी व धोखाधड़ी के 158.54 ग्राम पीली धातु एवं 2607.77 ग्राम सफेद धातु के जेवरात आदि बरामद**

दिनांक 19.05.2025 को थाना चंदापुर थाना महराजगंज व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना चंदापुर क्षेत्र के कसरेहला पुल से संतोषपुर जाने वाले कच्चे मार्ग पर डेरे से अभियुक्त 1–राजू 2–निक्की 3–मिलन 4–राजू व 08 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही से पर नहर पुल के पास से अभियुक्त शम्भू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में थाना महराजगंज क्षेत्र से हनुमानगढी मंदिर के पीछे से अभियुक्त 1–सत्यम 2–फुदका 3–मनोज 4–संतोष कुमार 5–भोला व 05 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी व धोखाधड़ी के 158.54 ग्राम पीली धातु एवं 2607.77 ग्राम सफेद धातु के जेवरात आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण गांव में डेरा डालकर मध्यमवर्गीय महिलाओं को चिन्हित कर पहले दिन उनके घर के टूटे–फूटे बर्तन के बजाय नये बर्तन देने का काम करती थी, दूसरे दिन छोटे सोने–चॉदी के आभूषण को बदल कर नया आभूषण देने का काम करती थी तथा तीसरे दिन भारी भरकम गहने को बदलने का प्रलोभन देकर धोखाधडी की घटना कारित कर फरार हो जाते है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चंदापुर व थाना महराजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना थाना चंदापुर व थाना महराजगंज पुलिस टीम द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी डोहरी थाना चतरा जनपद चतरा, झारखण्ड़।

2–निक्की निवासी लोवाडीह थाना नामकुम जनपद रॉची, झारखण्ड।

3—मिलन निवासी बालूभांग थाना बालूमात जनपद लातेहार, झारखण्ड।

4—राजू निवासी ग्राम सजना थाना चतरा जनपद चतरा, झारखण्ड।

5—शम्भू निवासी राजापुर सोनराठी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।

6—सत्यम निवासी ग्राम किसगो थाना हीरोडी जनपद गिरोही, झारखण्ड।

7—फुदका फुदका निवासी ग्राम अराकटा मल्हांर टोला जनपद रामगढ़, झारखण्ड़।

8—मनोज निवासी ग्राम सजना थाना चतरा जनपद चतरा, झारखण्ड।

9—संतोष कुमार निवासी ग्राम कटकम सैंनी थाना कटकम सैंनी जनपद हजारीबाग, झारखण्ड।

10—भोला निवासी ग्राम सजना थाना चतरा जनपद चतरा, झारखण्ड।

11—13 अभियुक्ता।

बरामदगी

1—चोरी व धोखाधड़ी के 158.54 ग्राम पीली धातु एवं 2607.77 ग्राम सफेद धातु के जेवरात आदि।

जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली ललितपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पीली धातु का आभूषण**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 18/19.05.2025 की रात्रि थाना कोतवाली ललितपुर व सर्विलांस, एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजघाट डैम कॉलोनी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1—लालाराम उर्फ राघवेंद्र 2—नरेंद्र उर्फ गुप्पी घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से पीली धातु का आभूषण, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा छिनैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली ललितपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण छिनैती की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त नरेंद्र उर्फ गुप्पी के विरूद्ध जनपद ललितपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त लालाराम उर्फ राघवेंद्र के विरूद्ध जनपद ललितपुर के थाना कोतवाली ललितपुर पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लालाराम उर्फ राघवेंद्र निवासी ग्राम कल्याणपुरा थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर।

2–नरेंद्र उर्फ गुप्पी निवासी ग्राम मसौरा कला थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर।

बरामदगी

1–पीली धातु का आभूषण।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना हाईवे

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 19.05.2025 को थाना हाईवे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महाराजा वैशाली कॉलोनी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ कृष्णा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– सिद्धार्थ उर्फ कृष्णा निवासी हंशराज कॉलोनी थाना हाईवे जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद जौनपुर/थाना बक्सा

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 19.05.2025 को थाना बक्सा व थाना तेजीबाजार की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चुरावनपुर जाने वाली सड़क से आगे नहर पुलिया के पास

मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियम से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राजू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बक्सा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राजू निवासी मथुरापुर कोठवां थाना जलालपुर जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना बेलहरकला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीर नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीर नगर द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5/6पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सर्वेश कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना जैतीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना जैतीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पिंकू उर्फ कमलेश कुमार को 10 वर्ष कठोर कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0ः–नवोदय विद्यालय समिति द्वारा अयोजित जूनियर क्लर्क एवं लैब अटेन्डेण्ट भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने वाले गिरोह के 07 सदस्य सरगना सहित गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 19–05–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को नवोदय विद्यालय जूनियर क्लर्क एवं लैब अटेन्डेण्ट भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने वाले गिरोह के 07 सदस्यो को सरगना सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1– सूरज मौर्या पुत्र प्रदीप मौर्या ग्राम लीलहट थाना फूलपुर, प्रयागराज। (गैंग लीडर)

2– शम्भूनाथ प्रजापति पुत्र षिवषंकर प्रजापति ग्राम चिरौरी, थाना फूलपुर, प्रयागराज। (गैग सदस्य)

3– अरविन्द कुमार पुत्र सूरजबली नि0 ग्राम कन्नौजा थाना फूलपुर, प्रयागराज। (गैग सदस्य)

4– रितेष मौर्या पुत्र प्रदीप मौर्या ग्राम लीलहट थाना फूलपुर, प्रयागराज। (परीक्षार्थी)

5– हरिकेष यादव पुत्र हरिहर यादव ग्राम चकरा, थाना बलुआ, चन्दौली। (परीक्षार्थी)

6– षिवम सिंह पुत्र यषवन्त लाल नि0 पडीला इस्माइगंज, थाना थरवई, प्रयागराज। (परीक्षार्थी)

7– अंजली मौर्या पत्नी राहुल मौर्या नि0 ग्राम वषीपुरा थाना मीर्जामुराद, वाराणसी। (परीक्षार्थी)

बरामदगीः–

1– 09 अदद ब्लूटूथ डिवाइस सिम कार्ड सहित

2– 03 अदद ओएमआर शीट।

3– 11 अदद एडमिट कार्ड।

4– 03 अदद प्रष्न पत्र।

5– 05 अदद सिम कार्ड।

6– 04 अदद मोबाइल फोन।

7– 04 अदद आधार कार्ड।

8– 01 अदद पैन कार्ड।

9– रू0 6,520/–

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक–

1–दिनांक 18–05–2025 समय 11.15 बजे। स्थान सेन्ट मेरी कान्वेन्ट स्कूल घूरपुर, प्रयागराज।

2–दिनांक 18–05–2025 समय 16.40 बजे। स्थान स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल फाफामऊ, प्रयागराज।

3–दिनांक 18–05–2025 समय 19.30 बजे। स्थान रिंगरोड कान्हा पार्किंग, सरायइनायत, प्रयागराज।

केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा परिषद द्वारा अयोजित नवोदय विद्यालय समिति के विभिन्न पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा–2025 को नकलविहीन एवं पारदर्षी तरीके से सम्पन्न कराने हेतु एसटीएफ उ0प्र0 को निर्देषित किया गया था। जिसके अनुपालन में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों द्वारा अभिसूचना सकंलन एवं कार्यवाही प्रचलित थी। इसी क्रम में श्री प्रमेष कुमार शुक्ल, के पर्यवेक्षण में कार्यरत मुख्यालल स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 17–05–2025 को उप निरीक्षक श्री जोवद आलम सिद्दीकी, मु0आ0 कवीन्द्र साहनी, मृत्युन्जय सिंह, मुनेन्द्र सिंह, यषवन्त सिंह, वीर प्रताप, अजीत कुमार के

नेतृत्व में एक टीम जनपद प्रयागराज में भ्रमणषील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 18—05—2025 को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाईस के माध्यम से नकल कराने वाले गिरोह का सरगना सूरज मौर्या द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर ब्लूटूथ डिवाईस के साथ परीक्षार्थियों को भेजा गया है और एक दिन पूर्व ब्लूटूथ डिवाईस के समुचित उपयोग हेतु उन्हे प्रषिक्षित भी किया गया है। आज सेन्ट मेरी स्कूल, घूरपुर में होने वाली इस परीक्षा के प्रथम पाली में सूरज मौर्या का भाई रितेष मौर्या ब्लूटूथ डिवाइस सहित बैठेगा तथा स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल में 03 परीक्षार्थी परीक्षा देने हेतु बैठेगे। प्राप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस व सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापको के सहयोग से अनुचित साधनों का प्रयोग कर प्रतियोगी परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। परीक्षार्थियों एवं मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ब्लूटूथ डिवाईस के माध्यम से परीक्षार्थियों को उत्तर कुन्जी लिखाने वाले गैग के सरगना सूरज मौर्या सहित 02 अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज मौर्या ने पूछताछ पर बताया कि वर्तमान समय में इफ्को कम्पनी फूलपुर में नौकरी करता है। दिनांक 18—05—2025 को उसके छोटा भाई रितेष मौर्या की नवोदय विद्यालय जूनियर क्लर्क एवं लैब अटेन्डेण्ट पद की परीक्षा सेन्ट मेरी कन्वेट स्कूल घूरपुर मे थी। जिसे ब्लूटूथ डिवाइस देकर परीक्षा में बैठने हेतु भेजा गया था। उक्त परीक्षा का उत्तरकुन्जी बच्चा यादव निवासी सोरांव द्वारा अरविन्द यादव को भेजी गई थी। अरविन्द यादव मेरे व्हाटसएप पर भेजता था। उक्त उत्तरकुन्जी को शम्भू, अरविन्द एवं मेरे द्वारा प्रयागराज, लखनऊ, सिक्किम व दिल्ली के परीक्षा केन्द्रों पर ब्लूटूथ डिवाईस के माध्यम से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को नोट कराया जा रहा था। इस परीक्षा में नकल कराने के एवज में प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रूपये की बात तय थी।

इसके पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी, पेट (पी0ई0टी0), आरओ/एआरओ, ट्रिपल—सी, रेलवे व बैंक भर्ती की परीक्षा में भी कई अभ्यर्थियों को ब्लूटूब डिवाइस के माध्यम से नकल कराया था। इन परीक्षाओ की उत्तरकुन्जी भी बच्चा यादव द्वारा ही उपलब्ध

करायी गयी थी। परीक्षा शुरू हाते ही बच्चा यादव को व्हाट्सएप पर पेपर मिल जाता है, जिसकी उत्तरकुन्जी बनाकर तत्काल भेज देता है। हमारे द्वारा परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से उत्तर नोट कराकर हल कराया जाता है। इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली, बिहार, पष्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेष सहित अन्य राज्यों में फैला है। इसके अतिरिक्ति कई परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की ओ0एम0आर0 शीट परीक्षा केन्द्र में न भरवाकर उसे सेन्टर से मिलीभगत कर बाहर भरवाया जाता है।

इस सम्बन्ध में थाना सराय इनायत, प्रयागराज में मु0अ0सं0 151/25 धारा 11, 13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधि0–2024 व 318(2), 318(4) बीएनएस, थाना थरवई, प्रयागराज में मु0अ0सं0 135/2025 धारा 11, 13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधि0–2024 व 318(2), 318(4) बीएनएस एवं थाना घूरपुर, प्रयागराज में मु0अ0सं0 167/2025 धारा 3,4,10,11 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधि0–2024 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है जिनमें अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———————